मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
Phone:pbx:0755-2464428,fax:0755-2463742 e-mail:it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 1566 /तक/प्रनिबो/2018, भोपाल, दिनांक 16/8/2018

विषय :- इन्दौर एवं उज्जैन झोन के आंचलिक अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारियों एवं प्रयोगशाला प्रभारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 02.08.2018 का कार्यवाही विवरण ।

इन्दौर एवं उज्जैन झोन के आंचलिक अधिकारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों एवं प्रयोगशाला प्रभारियों की कार्य समीक्षा बैठक दिनांक 02/08/2018 को क्षेत्रीय कार्यालय म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर के सभाकक्ष में अध्यक्ष म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण श्री अनुपम राजन, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :-

1. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव।
2. डॉ. रीता कोरी, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी।
3. श्री पी.के. त्रिवेदी, आंचलिक/क्षेत्रीय अधिकारी, उज्जैन।
4. श्री एम.एल. पटेल, अधीक्षण यंत्री।
5. श्री आर.के. गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर/एसईजेड़।
6. श्री आलोक सिंघई, क्षेत्रीय अधिकारी, पीथमपुर।
7. श्री ए.के. बिसेन, क्षेत्रीय अधिकारी, धार।
8. श्री के.एल. चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, देवास।

अप्रैल, 2018 में सम्पन्न समीक्षा बैठक के दौरान लिये गये निर्णयों के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। यह अवगत कराया गया कि 12/07/2018 को जबलपुर एवं रीवा जोन के क्षेत्रीय कार्यालयों की समीक्षा की गई थी तथा समीक्षा के दौरान कुछ प्रदेश स्तरीय निर्णय लिये गये थे। समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण बोर्ड के पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 23/07/2018 के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं तथा उनका पालन सुनिश्चित किया जाना है। बैठक के दौरान लिये गये महत्वूपर्ण निर्णय निम्नानुसार हैं :-

1. बोर्ड द्वारा लागू की गई ऑटो-रिनेबल (Auto Renewal) की व्यवस्था को सरल बनाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार आवेदन के साथ मासिक पत्रक प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त करने के संबंध में परीक्षण किया जाये।

(कार्यवाही - आई.टी. शाखा एवं डायरेक्टर (पर्यावरण-2))

2. पर्यावरण का संदेश जन-जन तक पहुँचाने की दृष्टि से प्रदेश के स्कूलों को चिन्हित कर ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। इस तरह के कार्य वर्तमान में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन द्वारा किया जा रहा है अतः ग्रीन स्कूल के संबंध में मानक सुनिश्चित करने हेतु एप्को के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही एक माह में सम्पादित की जावे।

(कार्यवाही – अधीक्षण यंत्री, जनसंपर्क व समस्त क्षेत्रीय अधिकारी)

3. राज्य शासन द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग के प्रचलन को प्रतिबंधित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्लास्टिक मुक्त नगर चयनित करने एवं कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए । इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर द्वारा औंकारेश्वर, क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन द्वारा महाकाल मंदिर क्षेत्र व नागदा नगर, क्षेत्रीय कार्यालय धार द्वारा धरमपुरी, क्षेत्रीय कार्यालय देवास द्वारा नेमावर एवं क्षेत्रीय अधिकारी पीथमपुर द्वारा औधोगिक क्षेत्र में सेक्टर-2 को प्लास्टिक मुक्त करने हेतु प्रस्ताव दिए गए । प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त नगर/स्थान घोषित करने हेतु निर्देशित किया गया कि विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर कार्ययोजना की एक प्रति जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकायों को उपलब्ध करवाई जाए तथा नियमित रूप से चयनित क्षेत्रों को पॉलीथीन मुक्त करने हेतु जन-जागृति कार्यक्रम चलाए जाएं।

(कार्यवाही – समस्त क्षेत्रीय अधिकारी व अधीक्षण यंत्री-1)

4. बोर्ड द्वारा किये जा रहे महत्वूपर्ण कार्यो की सक्सेस स्टोरी क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर एवं जबलपुर द्वारा बोर्ड की वेब-साईट पर अपलोड की गई है इसी तरह शेष क्षेत्रीय कार्यालय भी सक्सेस स्टोरी तैयार कर बोर्ड की आई.टी. शाखा को उपलब्ध करायें। बोर्ड के प्रयासों से इन्दौर शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार, रतलाम की बन्द इकाईयों से परिसंकटमय अपशिष्ट हटाने की कार्यवाही व देवास के उद्योगों से उत्पन्न होने वाले दूषित जल व अपशिष्ट की वेब-बेस्ड मॉनिटरिंग तथा उसको क्षिप्रा में जाने से रोकने की कार्यवाही के कारण क्षिप्रा की जल गुणवत्ता में सुधार होने को भी सक्सेस स्टोरी में लिया जा सकता है।

(कार्यवाही – समस्त क्षेत्रीय अधिकारी एवं डायरेक्टर (पर्यावरण-2))

5. प्रदेश में कार्यरत सिंगल सुपर फॉस्फेट उधोगों में कास्टिक स्क्रबर स्थापना की प्रगति के संबंध में समीक्षा हेतु दिनांक 10/08/2018 को बोर्ड मुख्यालय स्तर पर सभी संबंधित उधोगों के साथ बैठक आयोजित है, इस संबंध में सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही - समस्त क्षेत्रीय अधिकारी एवं अधीक्षण यंत्री (जनसंपर्क))

6. प्रदेश में कार्यरत स्टोन क्रेशर व खदानों के आवासीय क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्गो से संबंधित अधिनियमों में पृथक-पृथक प्रावधान किया गया है उसका पालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही - समस्त क्षेत्रीय अधिकारी)

7. बोर्ड द्वारा प्रदूषणकारी उद्योगों को जारी किये गये बन्द करने के निर्देशों के पालन हेतु विद्युत विच्छेद कराने के संबंध में आने वाली कठिनाई को निराकृत करने हेतु मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को जारी किये गये निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। इस संबंध में तत्काल निर्देशों की प्रतियाँ उपलब्ध करायें, ताकि बोर्ड स्तर से मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल से आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा सके।

(कार्यवाही - समस्त क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री एम.के. मंडराई, अधीक्षण यंत्री (संयोजक तकनीकी शाखा))

8. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में उन्नयन करने के संबंध में की गई कार्यवाही की संबंधित शाखा प्रभारी समीक्षा कर 30/09/2018 के पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही - सभी शाखा प्रभारी, बोर्ड मुख्यालय)

9. नागदा में स्थापित एन.ए.एम.पी. के स्थान पर सतत् मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जा चुकी है अतः क्षेत्रीय अधिकारी उज्जैन इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि एन.ए.एम.पी. के अन्तर्गत ऑनलाईन मॉनिटरिंग डेटा मान्य करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध किया जा सके।

(कार्यवाही - क्षेत्रीय अधिकारी उज्जैन व मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी)

10. क्षेत्रीय अधिकारी पीथमपुर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि टीएसडीएफ के निकट नगर पालिका परिषद पीथमपुर द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड स्थापित किया

जा रहा है इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही – क्षेत्रीय अधिकारी पीथमपुर व डायरेक्टर (पर्यावरण–1))

11. यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ नगरीय निकाय विशेष रूप से पर्यावरण प्रबंधन का कार्य कर रही हैं, क्षेत्रीय अधिकारी विशेष पुरस्कारों हेतु ऐसी नगरीय निकायों को चिन्हित करें।

(कार्यवाही – क्षेत्रीय अधिकारी पीथमपुर व डायरेक्टर (पर्यावरण–1))

मान्नीय अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1 निज सचिव, अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
2 समस्त शाखा प्रभारी, ... म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3 समस्त आंचलिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ..., की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4 नोटिस बोर्ड, आर्डर बुक, गार्ड फाईल।
5 आई.टी. शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर विवरण वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।